15/c 11 8/0/11

ROOPALI PANDEY
Dy. Manager
LUCKNOW

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03422216736537P
Certificate Issued Date	:	11-Jul-2017 02:14 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01041061708503328P
Purchased by	:	REGISTRAR UP RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT NO.10A/INS-04, VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD LUCKNOW
Second Party	:	REGISTRAR UP RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
Stamp Duty Paid By	:	REGISTRAR UP RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	18,80,000 (Eighteen Lakh Eighty Thousand only)

LOCKED SRO

Please write or type below this line

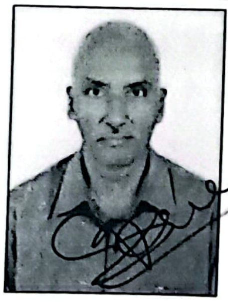

[redacted] क्रेता

विक्रेता

UP 0001841887

14/c

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 930114

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 01 माह 08 वर्ष 2017 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

क्रमशः 2 पर

क्रेता विक्रेता

8/c

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 930115

(2)

एक पक्ष और **उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कुल सचिव प्रो० (डा०) गिरिजा शंकर शुक्ल पता– विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ) फाफामऊ इलाहाबाद–211021** जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी,विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :–

क्रमशः 3 पर

क्रेता विक्रेता

7k

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 664792

13 JUN 2017

(3)

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या –2 नामक मुहल्ले के सेक्टर– **10A** में स्थित **संस्थागत भूखण्ड संख्या**–10A/INS-04 का व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने **रू० 26892902.00 (रू० दो करोड़ अरसठ लाख बान्नबे हजार नौ सौ दो मात्र)** जिसका आधा **रू० 13446451.00 (रू० एक करोड़ चौतीस लाख छियालीस हजार चार सौ इक्यावन मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति **(संस्थगत भूखण्ड संख्या**–10A/INS-04) को,जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची ''क'' में उल्लिखित है।

क्रेता विक्रेता

क्रमशः 4 पर

6/C

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 057662

(जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है। अतएव अब रू० **26892902.00 (रू० दो करोड़ अरसठ लाख बान्नबे हजार नौ सौ दो मात्र)** की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद् द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (**संस्थगत भूखण्ड संख्या 10A/INS-04**) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है:–

कमशः 5 पर

केता विक्रेता

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया जाना हैं।

(4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(5) यदि इच्छुक केता एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक केता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है :–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **संस्थागत प्रयोजन** के लिए किया जाएगा।

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी,जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या–10A/INS-04) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 11% (ग्यारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हक़दार होगी।

कमशः 6 पर

केता विकेता

(8) पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग संस्थागत प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगी और वह विकय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या–10A/INS-04 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

(11) संस्था द्वारा भूखण्ड का उपयोग राजकीय, अर्द्व–राजकीय कार्यालय,निजी कार्यालय, अनुसंधान/विकास/ शोध केन्द्र राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंको के जोनल/रीजनल कार्यालय (एक ब्रॉच सहित), बारात घर/बैंकेट हाल, उच्च तकनीकी संस्थान, प्रबन्धन संस्था, उच्च माध्यमिक/इन्टर कालेज, महाविद्यालय, पालीटेक्निक, मेडिकल/डेंटल कालेज, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र, टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र टेलीवीजन केन्द्र सभा भवन, योग–मनन–प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन, धार्मिक भवन,सामाजिक एवं सॉस्कृतिक संस्थान/केन्द्र आडीटोरियम,नाटयशाला/थियेटर,म्यूजियमआर्टग्लरी/प्रद र्नीकेन्द्र, संगीत/नृत्य–प्र क्षिण/कला केन्द्र, पुस्तकालय, क्लब खेलकूद केन्द्र, साईबर कैफे आदि वह सभी उपयोग जो आवासीय तथा व्यावसायिक श्रेणी के अन्तर्गत न आते हों, किया जायेगा।

(12) संस्थागत भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्ते जो समय–समय पर लागू हो, मान्य होगें।

केता

विक्रेता

कमशः 7 पर

विक्रय पत्र

26,892,902.00 /	26,893,000.00	20,000.00	60	20,060.00	18
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री ऊ,प्र,राजर्षि ट,मु,वि,वि, द्वा, कुल सचिव प्रो.(डा0)जी.एस,शुक्ला

पुत्र श्री मो.न0 752504801

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी विश्वविद्यालय परिसर शान्तिपुरम से0 एफ फाफामऊ इलाहाबाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/8/2017 समय 2:58PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

1/8/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा डी0 के0 शुक्ला सं,प्र,अ, ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

क्रेता

श्री ऊ,प्र,राजर्षि ट,मु,वि,वि, द्वा, कुल सचिव
प्रो.(डा0)जी.एस,शुक्ला
पुत्र श्री मो.न0 752504801
पेशा नौकरी
निवासी विश्वविद्यालय परिसर शान्तिपुरम से0 एफ फाफामऊ इलाहाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान अवनीश चन्द्र किशोरीलाल

पेशा नौकरी

निवासी लेखाकार उ0 प्र0 राजर्षि ट,मु,वि,वि, इलाहाबाद

व गुलाम मोहम्मद योजना सहा0 आ0 वि0 प0

पेशा नौकरी

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

जिसके साक्ष्य में **श्री दिलीप कुमार शुक्ला, सम्पत्ति प्रबन्धक** ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव प्रो० (डा०) गिरिजा शंकर शुक्ल आशयिता क्रेता संस्थागत भूखण्ड संख्या–10A/INS-04 संस्थागत भूखण्ड** के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

भूखण्ड का कुल मूल्य रू० 26892902.00 है जिसमे क्रेता ने रू० 26623972.00 का भुगतान परिषद खाते में किया है। इस धनराशि मे टोकेन धनराशि सम्मिलित है प्रदेशन पत्र के अनुसार 1% धनराशि रू० 268929.00 काट कर आयकर विभाग में परिषद के पैन खाता सं० AAAJU0103A में जमा कराकर फार्म 26 Q.B प्रस्तुत किया है।

नोटः–(1) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या– 772/स्टाम्प लिपिक–2015 दिनांक 15-12-2015 के ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN–UP03422216736537P DATE. 11/07/2017 रू० 1880000.00 एवं नान जुडिशियल स्टाम्प रू० 2600.00 कुल रू० 1882600 पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोटः–(2) आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या **10A/INS-04** जो निर्गत पत्र सं० 1237 दिनांक 16-03-2017 छायाप्रति संलग्न एवं संयुक्त सचिव के पत्रांक 1259/आठ–1–15–38 विविध/15 एवं उसके साथ संलग्नकों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग–7, आदेश संख्या–13/संख्या–क०नि०–7-440/11-2015-700(111) /13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश के अनुसार एक वर्ष के अन्दर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा हैं।

क्रेता विक्रेता

कमशः 8 पर

क्रेता

Registration No. : 11310 Year : 2,017 Book No. : 1

0201 ऊ,प्र,राजर्षि ट,मु,वि,वि, द्वा, कुल सचिव प्रो.(डा0)जी.एस,शुक्ल

मो.न0 752504801

विश्वविद्यालय परिसर शान्तिपुरम से0 एफ फाफामऊ इलाहाबाद

नौकरी

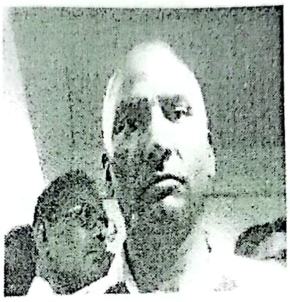

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी **10A/INS-04** संस्थागत भूखण्ड **क्षेत्रफल** 1000.48 वर्ग मीटर

सीमाएँ:

उत्तर–पूर्व– संस्थागत भूखण्ड संख्या 10A/INS-03	उत्तर–पूर्व– 33.80 मीटर
पूर्व–दक्षिण– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 10A/COM-04	पूर्व–दक्षिण–29.60 मीटर
दक्षिण–पश्चिम–24.00 मी० चौड़ी सड़क	दक्षिण–पश्चिम– 33.80 मीटर
पश्चिम–उत्तर– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 10A/COM-03	पश्चिम–उत्तर–29.60 मीटर

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर

2–नाम

3–पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2–साक्षी:1–हस्ताक्षर

2–नाम

3–पता

सम्पत्ति प्रबन्धक

(कृते आवास आयुक्त) विक्रेता

1–साक्षी:1–हस्ताक्षर

2–नाम सत्य प्रकाश सिंह

3–पता वित्त अधिकारी उ०प्र० राजर्षि मुक्त वि०वि० इलाहाबाद

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

–साक्षी:1–हस्ताक्षर

2–नाम अवनीश चन्द्र

3–पता लेखाकार, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद

1–हस्ताक्षर

क्रेता

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की आरे से कुल सचिव प्रो० (डा०) गिरिजा शंकर शुक्ल पता–विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ)फाफामऊ इलाहाबाद–211021

OFFICE OF

गवाह

Registration No.: 11310 Year : 2017 Book No. : 1

W1 अवनीश चन्द्र

किशोरीलाल

लेखाकार उ0 प्र0 राजर्षि ट,मु,वि,वि, इलाहाबाद

नौकरी

W2 गुलाम मोहम्मद योजना सहा0 आ0 वि0 प0

नौकरी

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

1/c

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. – 3

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
OFFICE COMPLEX, III FLOOR,
9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2, PART-2, LUCKNOW.

SITE PLAN OF INSTITUTIONAL PLOT NO.**-10A/INS-04**, SECTOR-10A

AT VRINDAVAN YOJNA No.-**2**, LUCKNOW.

OWNER SRI. /SMT. उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

PLOT SIZE 33·80 M X 29·60 M

PLOT AREA 1000·48 SQM.

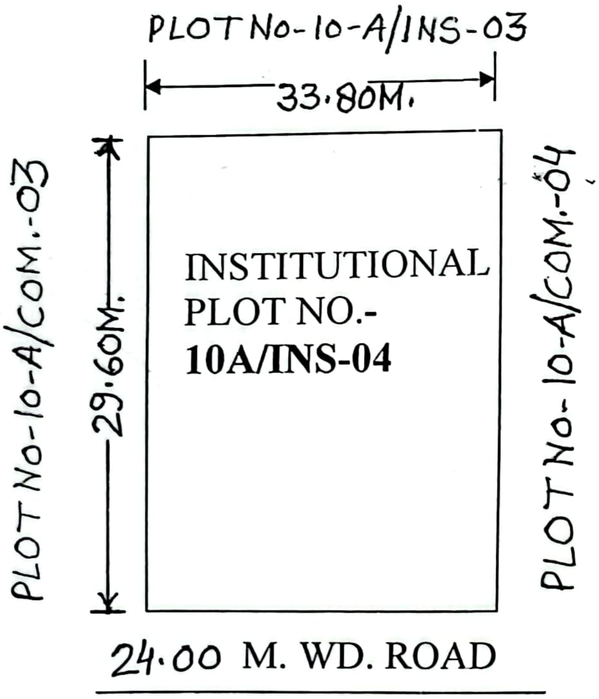

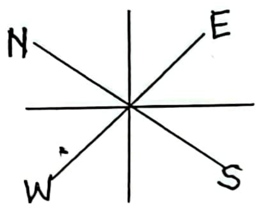

अनुबन्ध/रजिस्ट्री हेतु
रजिस्टर क्रमांक 24 दि० 29/6/17

29/6/17

Ravith

29/6/17

विक्रेता